सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट विराटनगर, **कैम्प दिनांक 29.06.2018**

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 42/2017 **दायर तारीख 25.05.2017**

1. सरदारा पुत्र झबरू
2. श्योदान
3. रिछपाल
4. रामशरण

(क्रमांक 2–4 पिता झबरू; क्रमांक 1–4 जाति यादव निवासी ढाणी गोछण की तन हनुमाननगर, तहसील विराटनगर)

5. सरदारमल पुत्र घींसाराम जाति यादव निवासी लुहाकना कलां तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
6. दौलतराम पुत्र ओमकार जाति यादव निवासी हनुमान नगर, तहसील विराटनगर
7. उर्मिला कंवर पत्नी श्री महिपाल सिंह जाति राजपूत निवासी लुहाकना खुर्द तहसील विराटनगर

—— वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास यादव जाति अहीर निवासी फतेहपुरा खुर्द तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर
2. बिमला गुप्ता पत्नी कन्हैयालाल गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी नांगल बानी तहसील थानागाजी, जिला अलवर
3. प्रेमलता उर्फ रूडी पत्नी प्रहलादसहाय जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर
4. सुरजी पत्नी भैंरू
5. कमली पत्नी जयराम
6. प्रेम पत्नी प्रकाश
7. प्रहलाद पुत्र गुल्लाराम

(क्रमांक 4–7 जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर)

8. शिम्भूदयाल
9. सीताराम

(क्रमांक 8–9 पिता बोदूराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर)

10. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण
श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय

निर्णय दिनांक 29.06.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 130/0.23, 131/1.18 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। हाल खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 137/2300, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 723/2300 एवं वादी का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 8, 9 का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। हाल खसरा नम्बर 131/1.18 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 2, 3, 4 का हिस्सा 302/11800, वादी संख्या 5 का हिस्सा 37/11800, वादी संख्या 6 का हिस्सा 19/11800 एवं वादी संख्या 1 का हिस्सा 2876/11800, वादी संख्या 7 का हिस्सा 18/11800, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 181/11800, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 6725/11800 तथा प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1642/11800 दर्ज रिकार्ड है। आराजी खसरा नम्बर 130, खसरा नम्बर 131 के बतरफ पूर्व में स्थित है, मौके पर दोनो खसरा नम्बर मिले हुए है। खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है, जिसका रकबा 287.5 वर्गमीटर यानी 0.02875 हैक्टेयर होता है, की भूमि वादी संख्या 1 से आपसी रजामंदी व मनबट के आधार पर लेकर प्रतिवादी संख्या 2 बिमला देवी ने वादी संख्या 1 को उसके कब्जे व हिस्से की भूमि हाल खसरा नम्बर 131 में दे दी थी एवं इसी अनुरूप आपसी मनबट के अनुसार वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 बिमला देवी मौके पर काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करते चले आये है। वादी संख्या 1 के साथ उक्त प्रकार से भूमि के आपसी मनबट करने के बाद प्रतिवादी संख्या 2 बिमला देवी ने अपनी भूमि हाल खसरा नम्बर 130 को छोटे–छोटे टुकडों में बेचान कर दिया और क्रेताओं ने अपनी भूमि में पुख्ता मकान भी बना लिए। वादी संख्या 1 का हाल खसरा नम्बर 130 में केवल रिकार्ड मे नाम चल रहा है, जबकि आपसी मनबट के हिसाब से मौके पर खसरा नम्बर 131 के पश्चिम हिस्से पर ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 एवं वादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य हुए आपसी मनबट के अनुसार वादीगण खसरा नम्बर 131 के पश्चिमी हिस्से लगभग 0.36 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है, एवं शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 एवं अन्य प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी उक्त भूमि मे से प्रतिवादी संख्या को एवं नवलकिशोर गर्ग को भूमि का बेचान किया था तथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नवलकिशोर से प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि क्रय की है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य हुए आपसी मनबट के हिसाब से हाल खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर मे वादी संख्या 1 के हिस्से 1/8 की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के बट में एवं प्रतिवादी संख्या 2 के खसरा नम्बर 131/1.18 हैक्टेयर की भूमि केक हिस्से 1642/11800 मे से 287.5/11800 वादी संख्या 1 के बट में आयी हुई है। आराजी मुतनाजा का अभी तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। अतः निवेदन है कि उभय पक्षों के मध्य हुए आपसी मनबट एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वादी संख्या 1 का नाम हाल खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर के हिस्सा 1/8 से हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 के हक मे जोडा जावे एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा 1642/11800 हाल खसरा नम्बर 131 मे से रकबा 287.5/11800 कम किया जाकर वादी संख्या 1 के हिस्से में दर्ज किया जावे एवं तद्नुसार बढे हुए रकबे के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके हिस्से एवं कब्जे काश्त अनुसार भूमि का बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे।

2. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 156, 128 संवत् 2072—2075, नकल नक्शा ट्रेस, फोटोप्रति आपसी सहमति पत्र दिनांक 13.11.2016, नकल कुर्रेजात रिपोर्ट मुकदमा नम्बर 54/2015, नकल राजीनामा उनवानी मुकदमा महेन्द्र कुमार बनाम श्योदान वगैरह, नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2018 मुकदमा नम्बर 54/2015 आदि पेश किये।

3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर, प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

4. प्रतिवादी संख्या 1 का जवाब रहा कि खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर भूमि से मिन उत्तरदाता सहखातेदार नहीं है, इस कारण हस्तगत वाद में उत्तरदाता को गलत रूप पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। वाद में वर्णितानुसार किसी प्रकार मनबट नहीं हुआ है। बिमला देवी द्वारा किस—किस क्रेता को कितनी—कितनी भूमि का बेचान किया गया, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा न ही हस्तगत वाद में क्रेताओं को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। क्रेतागण को बिना पक्षकार मुकदमा बनाये मौजूदा शक्ल चलने योग्य नहीं है। वादी संख्या 1 लगायत 4 का खसरा नम्बर 131 की पश्चिम हिस्से की 0.36 हैक्टेयर भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। मिन उत्तरदाता ने खसरा नम्बर 131 भूमि के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कानूनी बंटवारा के संबंध में प्रस्तुत वाद के वादीगण एवं अन्य के खिलाफ वाद संख्या 54/2015 न्यायालय हाजा में दायर कर रखा है, जो विचाराधीन है। बंटवारे के वाद में प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों की पूर्ति नहीं करता है। अतः वाद वादीगण मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

5. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में मजमा–ए–आम राजीनामा से प्रकरण का निस्तारण कराने हेतु पेश हुई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।

6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया। वस्तुतः ग्राम किशनपुरा के खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर की खातेदारी बिमला गुप्ता हिस्सा 137/2300, सुरजी हिस्सा 1/2, कमली हिस्सा 1/4, प्रेम हिस्सा 1/4 दर हिस्सा 723/2300, सरदारा हिस्सा 1/8, प्रहलाद हिस्सा 1/4, शिम्भूदयाल, सीताराम हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। जहां, तक खसरा नम्बर 131 का प्रश्न है, प्रतिवादी संख्या 1 उक्त खसरा नम्बर का सहखातेदार नहीं है। यह भी कि खसरा नम्बर 131 के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रस्तुत वाद के वादीगण एवं अन्य के खिलाफ वाद मुकदमा नम्बर 54/2015 बाबत बंटवारा पेश किया, जिसका निर्णय मुताबिक कुर्रेजात एवं वाद के पक्षकारान में मध्य हुए आपसी राजीनामा के आधार पर दिनांक 22.05.2018 को किया गया है। मुकदमा नम्बर 54/2015 के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 ने आपसी राजीनामा भी प्रस्तुत की है, जिसके मुताबिक हाल खसरा नम्बर 131/1.18 हैक्टेयर का पश्चिमी भाग रकबा 3440 वर्गमीटर यानी 0.3440 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं 5 लगायत 8 के हक में मुताबिक जमाबन्दी हिस्सानुसार एवं प्रतिवादी संख्या 7 के हिस्से में प्रतिवादी संख्या 4 बिमला देवी के साथ खसरा नम्बर 130 मे किये गये अदला–बदली के रूप में 188 वर्गमीटर भूमि अधिक रहेगी एवं बिमला देवी के रकबा 0.1823 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का हिस्सा 1454/1635, 181/1635 रहेगा, जो बतरफ पश्चिम मे रहेगा एवं प्रतिवादी संख्या 7 सरदारा की 100 मीटर यानी 0.01 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 130 मे रहेगी। मुकदमा नम्बर 54/2015 के पक्षकारान के मध्य हुए आपसी राजीनामा अनुसार वाद प्रतिवादी संख्या 4 के खसरा नम्बर 131 मे दर्ज हिस्से मे से 188 मीटर भूमि प्रतिवादी संख्या 7 को दी जाकर प्रतिवादी संख्या 7 के नाम खसरा नम्बर 130 में दर्ज भूमि मे से प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 4 बिमला देवी को 187 मीटर भूमि दी जाकर शेष 100 मीटर भूमि प्रतिवादी संख्या 7 के हक मे रहेगी।

7. वस्तुतः हस्तगत वाद में मुकदमा नम्बर 54/2015 मे पक्षकारान के मध्य हुए आपसी राजीनामा अनुसार खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर के वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा को दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत पाता हॅू।

<u>आदेश</u>

वादी का वादपत्र मुकदमा नम्बर 54/2015 में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है। ग्राम किशनपुरा के खाता संख्या 156 में दर्ज खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर में बिमला देवी को 0.0324 हैक्टेयर तथा सरदारा पुत्र झबरू को रकबा 0.01 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष पक्षकारान के हिस्से खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी संवत् 2072–2075 दर्ज रखे जावें। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29.06.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प बागावास अहीरान में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर **दिनांक 29.06.2018**

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. सरदारा पुत्र झबरू
2. श्योदान } पिता झबरू } जाति यादव निवासी ढाणी गोछण की तन हनुमाननगर, तहसील विराटनगर
3. रिछपाल
4. रामशरण
5. सरदारमल पुत्र घींसाराम जाति यादव निवासी लुहाकना कलां तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
6. दौलतराम पुत्र ओमकार जाति यादव निवासी हनुमान नगर, तहसील विराटनगर
7. उर्मिला कंवर पत्नी श्री महिपाल सिंह जाति राजपूत निवासी लुहाकना खुर्द तहसील विराटनगर **—— वादीगण**

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र रामनिवास यादव जाति अहीर निवासी फतेहपुरा खुर्द तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर
2. बिमला गुप्ता पत्नी कन्हैयालाल गुप्ता जाति अग्रवाल निवासी नांगल बानी तहसील थानागाजी, जिला अलवर
3. प्रेमलता उर्फ रूडी पत्नी प्रहलादसहाय जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर
4. सुरजी पत्नी भैंरू
5. कमली पत्नी जयराम } जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
6. प्रेम पत्नी प्रकाश
7. प्रहलाद पुत्र गुल्लाराम
8. शिम्भूदयाल } पिता बोदूराम जाति जाट निवासी किशनपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
9. सीताराम
10. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 42/2017 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री मदनलाल जाट एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश हुए। **राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट विराटनगर में मजमा–ए–आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।** हस्तगत वाद में मुकदमा नम्बर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

54/2015 मे पक्षकारान के मध्य हुए आपसी राजीनामा अनुसार खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर के वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा को दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत पाता हूॅ। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र मुकदमा नम्बर 54/2015 में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है। ग्राम किशनपुरा के खाता संख्या 156 में दर्ज खसरा नम्बर 130/0.23 हैक्टेयर में बिमला देवी को 0.0324 हैक्टेयर तथा सरदारा पुत्र झबरू को रकबा 0.01 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष पक्षकारान के हिस्से खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी संवत् 2072–2075 दर्ज रखे जावें। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 29.06.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प बागावास अहीरान में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य........ खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य............. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 29.06.2018** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प बजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत इजराय हुक्मनामा	
बबत इजराय हुक्मनामा		मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।